रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2001/कार्तिक 11, 1923
No. 554] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2001/KARTIKA 11, 1923

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

सा. का. नि. 816 (अ).—कतिपय नियमो का, अर्थात् पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का निम्नलिखित प्रारुप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर उस तारीख से, जिसको ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेजे जा सकेंगे । ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त प्रारुप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारुप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 है

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 अभिप्रेत है ;

(ख) "पशु कल्याण संगठन" से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसायटी फार प्रिवेन्शन आफ क्रूयलिटी टू एनिमल्स (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाटी) और ऐसा कोई अन्य पशु कल्याण संगठन भी है जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।

(ट) " बोर्ड" से अधिनियम की धारा ८ के अधीन स्थापित और धारा 5क के अधीन पुनःगठित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है

(ठ) " समिति" से इन नियमों के अधीन नियुक्त समिति अभिप्रेत है ;

(ड) " स्थानीय प्राधिकारी" से नगरपालिक समिति, जिला बोर्ड या अन्य ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे तत्समय किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किन्हीं विषयों का नियंत्रण और प्रशासन, विधि द्वारा विनिहित किए गए हैं

(ढ) " स्वामी" से किसी पशु का स्वामी अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा अन्य व्यक्ति भी है, जिसके कब्जे या अभिरक्षा में ऐसा पशु है भले ही वह स्वामी की सहमति से हो अथवा नहीं

(छ) " पशु चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय की डिग्री है और वह भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत है ।

3. कुत्तों का वर्गीकरण और उनका बंध्यकरण : (1) सभी कुत्तों को निम्नलिखित दो प्रवर्गो में से किसी एक में अर्थात् (i) पालतू कुत्तों, (ii) आवारा कुत्तों में वर्गीकृत किया जाएगा ।

(2) पालतू कुत्तों का स्वामी इन नियमों और किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार नियंत्रित प्रजनन, असंक्रमीकरण, बंध्यकरण और अनुज्ञापन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) आवार कुत्तों को पशु कल्याण संगठनो, प्राइवेट व्यष्टियों और स्थानीय प्राधिकारी के सहयोग से बधिया और असंक्रमित किया जाएगा ।

4. समिति की स्थापना : स्थानीय प्राधिकारी द्वारा एक मानीटरिंग समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) स्थानीय प्राधिकारी का आयुक्त/प्रधान जो समितिं का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी के लोक स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि ।

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के पशु कल्याण विभाग, यदि कोई हो, का एक प्रतिनिधि

(घ) एक पशु चिकित्सक ;

(ङ) डिस्ट्रिक्ट सोसायटी फार प्रिवेन्शन आफ क्रूयलिटी टू एनिमल्स (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए जिला सोसायटी) का एक प्रतिनिधि

(च) उक्त स्थानीय प्राधिकारी के भीतर संचालित पशु कल्याण संगठनों से कम से कम दो प्रतिनिधि

5. समिति के कृत्य :- नियम 4 के अधीन गठित समिति इन नियमों के अनुसार कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम की योजना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी । समिति,' -

(क) कुत्तों को पकड़ने, उनके परिवहन, आश्रय, बंध्यकरण, टीकाकरण और उपचार हेतु तथा बधिया किए गए /टीके लगाए गए/उपचार किए गए कुत्तों की निर्मुक्ति के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी ।

(ख) पशु चिकित्सक को प्रत्येक मामले के आधार पर ऐसे आवारा कुत्तों को पकड़ने की आवश्यकता के बारे में विनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो गंभीर रुप से बीमार हैं या घातक रुप से क्षतिग्रस्त है या पागल है ।

(ग) सार्वजनिक जागरुकता पैदा कर सकेगी, सहयोग और निधि की मांग कर सकेगी ;

(घ) समय - समय पर पालतू कुत्तों के स्वामियों और वाणिज्यिक प्रजनकों को मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध करा सकेगी ;

(ङ) आवार कुत्तों के नियंत्रण और टीकाओं के प्रबंध, विकास और बंध्यकरण, टीकाकरण आदि के कम लागत वाले तरीकों के बारें मे शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रगतियो पर ध्यान रख सकेगी ।

6. स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं : (1) स्थानीय प्राधिकारी

(क) पशु घरों/आश्रय गृहों सहित पर्याप्त संख्या में कुत्ता बाड़ो की स्थापना की जिनका प्रबंध पशु कल्याण संगठनों द्वारा किया जा सकेगा ;

(ख) आवार कुत्तों को पकड़ने और उनके परिवहन के लिए अपेक्षित संख्या में कुत्ता वाहनो की ;

(ग) प्रत्येक कुत्ता वाहन पर उपलब्ध कराए जाने वाले एक चालक और दो प्रशिक्षित कुत्ता पकड़ने वालो की ;

(घ) बध्यकरण और असंक्रमीकरण के लिए चल केन्द्र के रुप मे उपलब्ध कराए जाने वाले एक एंबुलैंस एवम् क्लीनिकल वैन की ;

(ङ) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पशु शवों के व्ययन के लिए स्थापित किए जाने वाले निर्दाहकों की

व्यवस्था करेगा ।

(2) पशु कल्याण संगठनों को बंध्यकरण/असंक्रमीकरण के व्ययो की ऐसी दर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जो समिति द्वारा किए गए बंध्यकरण/असंक्रमीकरण पर आधारित पाक्षिक आधार पर नियत की जाए ।

7. पकड़ना/बध्यकरण/असंक्रमीकरण/निर्मुक्ति : (1) कुत्तों को निम्नलिखित के आधार पर पकड़ा जाएगाः

(क) विनिर्दिष्ट शिकायते (जिसके लिए स्थानीय प्राधिकारी मानीटरिंग समिति के परामर्श से एक कुत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा जो कुत्ता न्यूसेंस (उपताप), कुत्ता काटने के बारे में शिकायतें तथा पागल कुतों के बारे में सूचना प्राप्त करेगा) और

(ख) साधारण

(i) न्यूसेस या कुत्ता काटने के बारे मे विनिर्दिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर, पूर्विकता के आधार पर उस क्षेत्र को ध्यान मे रखे बिना कार्यवाही की जाएगी जिससे शिकायत आती है । ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर स्थायी अभिलेख के लिए रखे गए रजिस्टर में उसका ब्यौरा जैसे शिकायत करने वाले का नाम, उसका पूरा पता, शिकायत की तारीख और समय, शिकायत की प्रकृति आदि लेखबद्ध किए जाएंगे ।

(ii) सामान्य प्रयोजन के लिए कुत्तो को ऐसी तारीखों और समय पर पकड़ा जाएगा जो समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) कुत्ता पकड़ने वाले दस्ते मे निम्नलिखित होगे ।

(i) कुत्ता वाहन का चालक,

(ii) स्थानीय प्राधिकारी के दो या अधिक प्रशिक्षित ऐसे कर्मचारी जो कुत्ता पकड़ने में प्रशिक्षित हैं,

(iii) किसी पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि ।

कुत्ता दस्ते का प्रत्येक सदस्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विधिमान्य पहचान पत्र अपने साथ् ले जाएगा ; कुत्ता पकड़ने वाले दस्ते के साथ इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट किसी पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि होगा ।

(3) विनिर्दिष्ट शिकायत की प्राप्ति पर या सामान्य अनुक्रम में कुत्ता पकड़ने के लिए कुत्ता दस्ता संबद्ध क्षेत्र में जाएगा, शिकायत पर आधारित पकड़ने के मामले में शिकायत करने वाले द्वारा पहचान किए गए कुत्तों और सामान्य पकड़ की दशा में अन्य कुत्तों को पकड़ेगा । पकड़े गए कुत्तों का एक अभिलेख एक रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसमें उक्त क्षेत्र/परिक्षेत्र का नाम, पकड़ने की तारीख और समय, उस विशिष्ट दिन को कुत्ता दस्ते में सम्मिलित व्यक्तियों का नाम तथा पकड़े गए कुत्तों के ब्यौरे, जैसे नर कुत्तों की संख्या, मादा कुत्तों की संख्या, पिल्लों की संख्या आदि का ब्यौरा वर्णित किया जाएगा ।

(4) कुत्तों को मानवीय तरीकों का उपयोग करते हुए जैसे पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं को पकड़ना) नियम, 1972 के उपबंधों में विहित पशुओं को पकड़ने के तरीकों की तरह फांसे या मुलायम फंदे जैसे मानवीय तरीकों का उपयोग करते हुए पकड़ा जाएगा ।

(5) जब किसी परिक्षेत्र में कुत्तों को पकड़ा जा रहा हो तब कुत्ता दस्ते के साथ चल रहा स्थानीय प्राधिकारी का प्रतिनिधि या पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि लोक संबोधन प्रणाली पर यह घोषणा करेगा कि उस क्षेत्र से कुत्तों को बंध्यकरण और असंक्रमीकरण के प्रयोजन के लिए पकड़ा जा रहा है और उनको मानीटरिंग समिति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा । उक्त घोषणा से उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में शिक्षित किया जा सकेगा और उनको यह आश्वासन देते हुए सभी निवासियों के समर्थन की मांग की जा सकेगी कि स्थानीय प्राधिकारी उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है ।

(6) पकड़े गए कुत्तों को पशु कल्याण् संगठनों द्वारा प्रबंधित कुत्ता गृहों/आश्रय गृहों में लाया जाएगा जहां उन्हें पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसायटी, पशु कल्याण संगठन या अन्य कुत्ता आश्रय गृहों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल के पशु चिकित्सकों के पर्यवेक्षण के अधीन बधिया किया जाएगा/टीका लगाया जाएगा । उसके पश्चात् आवश्यक अवधि के पश्चात् कुत्तों को उसी स्थान या परिक्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा जहां से उनको पकड़ा गया था और उनकी निर्मुक्ति की तारीख, समय और स्थान को लेखबद्ध किया जाएगा । पशु कल्याण् संगठनों का प्रतिनिधि निर्मुक्ति के समय भी कुत्ता दस्ते के साथ जाएगा ।

(7) एक समय पर केवल कुत्तों का एक लोट ही एक परिक्षेत्र से बंध्यकरण/असंक्रमीकरण के लिए, एक कुत्तागृह या कुत्ता बाड़े में लाया जाएगा । विभिन्न क्षेत्रों या परिक्षेत्रों से दो लाटों को एक ही कुत्ता बाड़े या कुत्तागृह में नहीं मिलाया जाएगा ।

(8) कुत्तागृह में कुत्तों के उचित निवास और स्वच्छन्द चलन के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए । उक्त् स्थान में उचित समवातन और प्राकृतिक रोशनी होनी चाहिए तथा वह साफ रखा जाना चाहिए । वयस्कों और पिल्लों को अलग अलग रखा जाना चाहिए तथा वयस्कों में भी नर और मादाओं को भी अलग अलग रखा जाना चाहिए । पेयजल तथा भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी जब उन्हें बंधीगृह में रखा जाए ।

(9) कुत्ता बाड़ों में पहुंचने पर सभी कुत्तों की पशु चिकित्सक द्वारा जांच की जाएगी और स्वस्थ तथा रोगी कुत्ते को अलग अलग रखा जाना चाहिए । रोगी कुत्तों को पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसायटी/अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को उचित उपचार के लिए दिया जाना चाहिए और उनका उपचार हो जाने के बाद ही उन्हें बधिया किया जाए या उन्हें टीका लगाया जाए ।

(10) गर्भवती पाए गए मादा कुत्तों का गर्भपात नहीं कराया जाएगा (भले ही उनके गर्भ की कोई भी स्थिति हो) और उनका बंध्यकरण भी नहीं कराया जाएगा तथा उन्हें जब तक वह बच्चा न दे दें, नहीं छोड़ा जाएगा ।

8. **पहचान और अभिलेखन** : बधिया किए गए कुत्तों को उनके छोड़े जाने से पूर्व टीका लगाया जाएगा तथा इस बारे में पहचान के लिए कि उनको बधिया कर दिया गया है/ असंक्रमित कर दिया गया है उनके कान में टाटू/निक लगा दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त पहचान के लिए कुत्तों को टोकन/नाइलोन के कालर भी दिए जा सकेंगे तथा ऐसे कुत्तों के ब्यौरे रखे जाएंगे।

9. **आवारा कुत्तों की सुखमृत्यु** - असाध्य बीमारी और घातक रूप से घायल कुत्तों को जैसा कि समिति द्वारा नियुक्त अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा जांच की गई हो किसी अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा वयस्क कुत्तों को सोडियम पैंटाथोल देकर और पिल्लों को थियोपेंटल इन्ट्रोपैरीटोनियल देकर मानवीय रीति में विनिर्दिष्ट समय के दौरान सुखमृत्यु दी जाएगी या भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मानवीय रीति से सुखमृत्यु दी जाएगी । किसी कुत्ते को किसी अन्य कुत्ते के समक्ष सुखमृत्यु नहीं दी जाएगी । सुखमृत्यु देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति व्ययन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त पशु मर चुका है ।

10. **उन्मत्त और विस्मित पागल कुत्ते** (1) स्थानीय प्राधिकारी के कुत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ को जनता से शिकायतें प्राप्त होने पर या अपनी ओर से, स्थानीय प्राधिकारी का कुत्ता दस्ता ऐसे प्रकट पागल कुत्तों को पकड़ ले ।

(2) तब पकड़े गए कुत्तों को कुत्ता बाड़े में ले जाया जाएगा जहां उसे बाडो में अलग अलग रखा जाएगा

(3) तब संदेह युक्त पागल कुत्ते का दो व्यक्तियों अर्थात्

(i) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त पशु शल्य चिकित्सक और

(ii) किसी पशु कल्याण् संगठन से प्रतिनिधि

के पैनल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा ।

(4) यदि उक्त कुत्ते के बारे में यह पाया जाता है कि उसे रैबीज होने की अत्यधिक संभावना है तो उसे उस समय तक अलग रखा जाएगा जब तक कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है । सामान्य दशा में ऐसी मृत्यु रैबीज के पैदा होने के दस दिन के भीतर हो जाती है । इस प्रकार संदेह युक्त पागल कुत्तों की समय पूर्व मृत्यु से रैबीज की सही घटना के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है और समुचित कार्यवाही भी नहीं की जाती है ।

(5) यदि कुत्ते के बारे में यह पाया जाता है कि उसे रैबीज संसर्ग नहीं है बल्कि कोई अन्य बीमारी है तो उसे पशु कल्याण् संगठन को सौंप दिया जाएगा जो उक्त कुत्ते के पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

11. **पशु शवों का व्ययन**: सुखमृत्यु प्राप्त ऐसे कुत्तों के शवों का स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्दाहक में व्ययन किया जाएगा ।

12. **जहां पर स्थानीय उपविधियां विद्यमान हो वहां इन नियमों का लागू होना** - यदि किसी ऐसे क्षेत्र में जिसको ये नियम विस्तारित किए जा रहे हैं, कोई अधिनियम, नियम, विनिमय या ऐसे किन्हीं विषयों की बाबत राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनाई गई उपविधि प्रवर्तन में है जिसके लिए इन नियमों में उपबंध किए गए हैं तो ऐसे नियम, विनियम या उपविधि उस सीमा तक जिस तक -

(क) उनमें इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की तुलना में पशु के लिए कम कष्टप्रद उपबंध अंतर्विष्ट हैं, लागू होंगे,

(ख) उनमें इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की तुलना में पशुओं को अधिक कष्टप्रद उपबंध अंतर्विष्ट हैं, प्रभावी नहीं होंगे ।

[सं. एफ. 1-4/2001-ए डब्ल्यू डी]

विवेक राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2001

G. S. R. 816 (E).—The following draft of certain rules, namely, the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Culture, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definition:-** In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960

(b) "Animal Welfare Organisation" means and includes the Society for Prevention of Cruelty to Animals and any other welfare organization for animals which is registered under the Societies Registration Act of 1860 (21 of 1860) or any other corresponding law for the time being in force.

(c) "Board" means the Animal Welfare Board of India, established under section 4 and as reconstituted under Section 5 A of the Act;

(d) "Committee" means a committee appointed under these rules

(e) "local authority" means a municipal committee, district board or other authority for the time being invested by law with the control and administration of any matters within a specified local area;

(f) "Owner" means the owner of an animal and includes any other person in possession or custody of such animal whether with or without the consent of the owner;

(g) "veterinary doctor" means a person who holds a degree of a recognized veterinary college and is registered with the Indian Veterinary Council.

3 **Classification of dogs and their sterilisation:** (1) All dogs shall be classified in one of the following two categories (i) pet dogs, (ii) street dogs.

(2) The owner of pet dogs shall be responsible for the controlled breeding, immunization, sterilization and licensing in accordance with these rules and the law for the time being in force within a specified local area.

(3) The street dogs shall be sterilized and immunized by participation of animal welfare organizations, private individuals and the local authority.

4. **Formation of Committee:** A monitoring committee consisting of the following persons shall be constituted by the local authority namely:-

(a) Commissioner/Chief of the local authority, who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;

(b) A representative of the Public Health Department of the local authority;

(c) A representative of the Animal Welfare Department if any of the local authority;

(d) A veterinary doctor;

(e) A representative of the district SPCA;

(f) At least two representatives from the Animal Welfare Organizations operating within the said local authority.

5. **Functions of the Committee:** The committee constituted under rule 4 shall be responsible for planning and management of dog control programme in accordance with these rules. The Committee may,-

(a) issue instructions for catching, transportation, sheltering, sterilisation, vaccination, treatment and release of sterilized/vaccinated/treated dogs;

(b) authorize veterinary doctor to decide on case to case basis the need to put to street dogs which are critically ill or fatally injured or rabid;

(c) create public awareness, solicit co-operation and funding;

(d) provide guidelines to pet dog owners and commercial breeders from time to time;

(e) keep a watch on the national and international developments in the field of research pertaining to street dogs' control and management, development of vaccines and cost effective methods of sterilization, vaccination, etc.

6. **Obligations of the local authority**: (1) The local authority shall provide for-

(a) establishment of a sufficient number of dog pounds including animal kennels/shelters which may be managed by animal welfare organizations;

(b) requisite number of dog vans for the capture and transportation of street dogs;

(c) One driver and two trained dog catchers to be provided for each dog van;

(d) an ambulance cum clinical van to be provided as mobile center for sterilization and immunization;

(e) incinerators to be installed by the local authority for disposal of carcasses.

(2) The animal welfare organizations shall be reimbursed the expenses of sterilization/immunization at a rate to be fixed by the Committee on fortnightly basis based on the number of sterilization/immunization done.

7. **Capturing/sterilization/immunization/release**: (1) Capturing of dogs shall be based on:

(a) Specific complaints (for which the local authority in consultation with the Monitoring Committee shall set up a dog control cell to receive complaints about dog nuisance, dog bites and information about rabid dogs) and

(b) General

(i) On receipt of specific complaint about nuisance or dog bite the same shall be attended on priority basis, irrespective of the area from which the complaint

comes. On receipt of such complaint the details such as name of the complainant, his complete address, date and time of complaint, nature of complaint etc. shall be recorded in a register to be maintained for permanent record.

(ii) Capturing for general purpose will be on such dates and time to he specified by the Committee.

(2) The dog capturing squad shall consist of:

i. the driver of the dog van
ii. two or more trained employees of the local authority who are trained in capturing of dogs.
iii. one representative of any of the animal welfare organization.

Each member of the dog squad shall carry, a valid identity card issued by the local authority. The dog capturing squad will be accompanied by a representative of an Animal Welfare Organisation nominated for the purpose.

(3) On receipt of specific complaint or for capturing dogs in normal course the dog squad will visit the concerned area, capture the dogs identified by the complainant in case of complaint-oriented capturing and other dogs in case of general capturing. A record of dogs captured shall be maintained in a register; mentioning therein the name of the area/locality, date and time of capture, names of persons in the dogs squad on that particular day and details about dogs captured such as number of male dogs, number of female dogs, number of puppies etc.

(4) The dogs shall be captured by using humane methods such as lassoing or soft-loop animal catchers such as those prescribed under the provisions of Prevention of Cruelties (Capture of Animals) Rules, 1972.

(5) While the dogs are being captured in any locality the representative of the local authority or of the animal welfare organization accompanying the dog squad will make announcements on a public address system that dogs are being captured from the area for the purpose of sterilization and immunization and will be released in the same area after a period to be specified by the Monitoring Committee. The announcement may also briefly educate the residents of the area about the dog control programme and solicit the support of all the residents reassuring them the local authority is taking adequate steps for their safety.

(6) The captured dogs shall be brought to the dog kennels/dog pounds managed by the AWOs where they will be sterilized/vaccinated under the supervision of the veterinarians of the hospital run by the SPCA, Animal Welfare Organisation or other dog shelters. After necessary period of follow up, the dogs shall be released at the same place or locality from where they were captured and the date, time and place of their release shall be recorded. The representative of AWOs shall accompany the dog squad at the time of release also.

(7) At a time only one lot of dogs shall be brought for sterilization, immunization from one locality at one dog kennel or dog pound. Two lots from different areas or localities shall not be mixed at the same dog pound or dog kennel.

(8) The dog kennel must have sufficient space for proper housing and free movement of dogs. The place should have proper ventilation and natural lighting and must be kept clean. Adults and puppies must be housed separately and amongst the adults the males and females also should be housed separately. Adequate arrangement for drinking water and food shall be made for dogs while in captivity.

(9) On reaching the dog pounds all the dogs shall be examined by the veterinarians and healthy and sick dogs should be segregated. Sick dogs should be given for proper treatment to the hospitals run by SPCA / other institutions and only after they are treated they should be sterilized and vaccinated.

(10) Female dogs found to be pregnant shall not undergo abortion (irrespective of stage of pregnancy) and sterilization and should be released till they have the litter.

8. **Identification and Recording:** Sterilized dogs shall be vaccinated before release and should be tattooed / nicked on their ears for being identified as sterilised / immunised dogs. In addition, the dogs may be given token / nylon collars for identification and detailed records of such dogs shall be maintained.

9. **Euthanasia of Street Dogs:** Incurably ill and mortally wounded dogs as diagnosed by a qualified veterinarian appointed by the committee shall be euthanised during specified hours in a humane manner by administering sodium pentathol for adult dogs and Thiopental Introperitoneal for puppies by a qualified veterinarian or euthanised in any other humane manner approved by Animal Welfare Board of India. No dog shall be euthanised in the presence of another dog. The person responsible for euthanising shall make sure that the animal is dead, before disposal.

10. **Furious or dumb rabid dogs:** (1) On the receipt of complaints from the public to the Dog Control Cell of the Local Authority or on its own, the dog squad of the Local Authority would catch such apparent rabid dogs.

(2) The caught dog would then be taken to the pound where it would be isolated in an isolation ward.

(3) The suspected rabid dog would then be subjected to inspection by a panel of two persons i.e.

(i) a veterinarian surgeon appointed by the Local Authority and
(ii) a representative from an Animal Welfare Organisation

(4) If the dog is found to have a high probability of having rabies it would be isolated till it dies a natural death. Death normally occurs within 10 days of contracting rabies. Premature killings of suspected rabid dogs therefore prevents the true incidence of rabies from being known and appropriate action being taken.

(5) If the dog is found not to have rabies but some other disease it would be handed over to the AWOs who will take the necessary action to rehabilitate the dog.

11. **Disposal of Carcasses:** The carcasses of such euthanised dogs shall be disposed of in an incinerator to be provided by the local authority.

12. **Application of rules where local bye-laws etc., exist** – If there is in force in any area to which these rules extend, any Act, rule, regulation or bye-law made under any law for the time being in force by the State or the Local Authority in respect of any of the matters for which provision is made in these rules, such rule, regulation or bye-law shall to the extent to which –

(a) it contains provisions less irksome to the animal than those contained in these rules, prevail;
(b) it contains provisions more irksome to the animal than those contained in these rules, be of no effect.

[F. No. 1-4/2001-AWD]
VIVEK RAE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2001